रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 17, 1971/चैत्र 27, 1893
No. 269] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 17, 1971/CHAITRA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April 1971

S.O. 1643.— Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for amending the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1616, dated the 7th May, 1968, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, at pages 919-920 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, dated the 4th June, 1970, under the notification of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2065, dated the 4th June, 1970;

And whereas objections and suggestions were invited till the 4th July, 1970, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th June, 1970;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby makes the following amendments to the

notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1616, dated the 7th May, 1968, namely:—

In the Annexure to the said notification,—

(i) Under the heading "A. Specification for refills":

for clause 6, the following clause shall be substituted, namely:

"6. The heat retention capacity shall be tested as follows:—

The temperature of water heated to 95° C and when kept in refills shall not be less then those indicated below:—

Types of refill	Temperature attained not less than		After five hours test, alternative to column (2)
	After one hour test	After twenty-four hours test	
	(1)	(2)	(3)
(1) Narrow mouth of nominal capacity not less than ½ litre (internal mouth diameter upto 45 mm)	91°C	50°C	78°C
(2) Wide mouth of nominal capacity of 1 litre and above (internal mouth diameter above 45 mm. but below 50 mm)	91°C	42°C	71°C
(3) Other types	As declared by the exporters.";		

(ii) Under the heading "B. Specification for the other components of vacuum flasks".

(a) for clause 3, the following clause shall be substituted, namely:—

"3. The thickness of the tin-plate shall in no case be less than 0.27 mm.";

(b) for sub-clause (1) of clause 4, the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(1) The ring and bottom, if made out of tin, shall be lacquered on both sides, and the body shall be lacquered inside only, to protect against corrosion."; and

(c) in clause 6, sub-clause (2) and the brackets and figure" (1) " in sub-clause (1) shall be omitted.

[No. 60(40)/Exp.Insp./67.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल 1971

का० आ० 1643.—यत: भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1616, तारीख 7 मई, 1968 को संशोधित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 जून, 1970, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 919–920 पर भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की (अंग्रेजी) अधिसूचना सं० का० आ० 2065, तारीख 4 जून, 1970 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे :

और यतः ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनको एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, 4 जुलाई, 1970 तक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे :

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 4 जून 1970 को उपलब्ध करा दिया गया था :

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता के कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए :

अतः अब निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस कारण कि उसकी यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1616, तारीख 7 मई, 1968 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबंध में ——

(1) "क रिफिलों के लिए विनिदेश शीर्षक के नीचे खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"6. ताप प्रतिधारण सामर्थ्य पर परीक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :—

95° सेंटीग्रेड तक गर्म किया हुआ जल और वह रिफिलों में रखा जाए तब उसका तापमान उन तापमानों से कम नहीं होगा जो नीचे उपदर्शित हैं :—

रिफिल का प्रकार	प्राप्त तापमान निम्नलिखित से अन्यून		पांच घंटे के परीक्षण के पश्चात स्तम्भ (2) का अनुकल्प
	एक घंटे के परीक्षण के पश्चात	चौबीस घंटे के परीक्षण के पश्चात	
	(1)	(2)	(3)
(1) 1/2 लीटर से अन्यून नाममात्र धारिता वाला तंग मुख (आन्तरिक मुख व्यास 45 मि० मी० तक)	91° सेंटीग्रेड	50° सेंटीग्रेड	78° सेंटीग्रेड
(2) 1/2 लिटर और उससे अधिक नाममात्र धारिता वाला चौड़ा मुख (आंतरिक मुख व्यास 45 मि मी० से अधिक किन्तु 50 मि० मी० से कम)	91° सेंटीग्रेड	42° सेंटीग्रेड	71° सेंटीग्रेड
(3) अन्य प्रकार	निर्यातकर्त्ता द्वारा यथाघोषित ।		

(ii) "ख निर्यात फुग्नारकों के अन्य संघटकों के लिए विनिदेश" शीर्षक के नीचे

(क) खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :–

"3. टीन की प्लेट की मोटाई किसी भी दशा में 0.27 मि० मि० से कम नहीं होगी" :

(ख) खंड 4 के उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) संक्षरण से बचाने के लिए रिंग और पेंदा, यदि टीन का बना हो तो, दोनों तरफ से लेकर किया हुआ होगा और बाडी केवल भीतर की तरफ लेकर की होगी।" : और

(ग) खंड 6 में, उपखंड (2) उपखंड (1) में कोष्ठक और अंक "(1)" लुप्त कर दिये जाएंगे।

[सं० 60 (40)/नि० नि०/67]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971